अनुदान संख्या 85 – जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 85–DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	919,00,00				
				931,33,00	891,29,84	–40,03,16
पूरक	Supplementary	12,33,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					36,53,98

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (4003.16 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1233.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.4003.16 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1233.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services					
मू.	O.	725.00				
पू.	S.	364.00		964.00	945.39	–18.61
पु.	R.	–125.00				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	9000.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–9000.00				

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	82175.00			
पू.	S.	869.00	88515.02	88184.45	–330.57
पु.	R.	5471.02			

(I) 9000.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8857.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)" - 1300.00 लाख रु.;

(खा) "जैव सूचना विज्ञान" - 200.00 लाख रु.;

(गा) "अनुसंधान और विकास" - 1981.00 लाख रु.;

(घा) "विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम" - 676.00 लाख रु.;

(ङ) "उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम" - 2200.00 लाख रु.; और

(चा) "आई एंड एम सेक्टर" - 2500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.9000.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.8857.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Other Scientific Research – Assistance to Other Scientific Bodies" - under the following heads:-

(A) "Autonomous R&D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)" - Rs.1300.00 lakhs;

(B) "Bioinformatics" - Rs.200.00 lakhs;

(C) "Research and Development" - Rs.1981.00 lakhs;

(D) "Grand Challenge Programmes" - Rs.676.00 lakhs;

(E) "Programme for Promotion of Excellence and Innovation" – Rs.2200.00 lakhs; and

(F) "I & M Sector" - Rs.2500.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - जैव-प्रौद्योगिकी विभाग'' के अंतर्गत 716.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 364.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1080.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर समाप्त किए जाने और विभाग द्वारा किफायत के उपाय किए जाने के कारण 143.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - अनुसंधान और विकास'' - 1191.16 लाख रु. की बचत (31500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता के लिए कम संख्या में परियोजनाएं उपयुक्त पाए जाने और प्रशासनिक कारणों से कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (समुद्रपार)'' - 239.69 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता के लिए कम संख्या में परियोजनाओं के उपयुक्त पाए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (260.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - मानव संसाधन विकास'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 335.36 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाए (वैज्ञानिक संस्थाएं/व्यावसायिक निकाय)'' - 1154.32 लाख रु. का अधिक व्यय (868.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 24543.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Biotechnology” - the original provision of Rs.716.00 lakhs was augmented to Rs.1080.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.364.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.143.95 lakhs - due to abolition of Banking Cash Transaction Tax and austerity measures.

(III) Under Major Head “3425” “Others” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance to Other Scientific Bodies – Research and Development” - saving of Rs.1191.16 lakhs.(against the sanctioned provision of Rs.31500.00 lakhs) was due to less number of projects found fit for support and less foreign visits owing to administrative reasons.

(B) “International Co-operation - International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)” - saving of Rs.239.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to less number of projects found fit for support.

2.(I) The above savings were partly (Rs.260.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head “3425” - “Others – Assistance to Other Scientific Bodies - Human Resource Development” . Actual excess, however, was Rs.335.36 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3425” - “Others – Assistance to Other Scientific Bodies” - under the following heads:-

(A) “Autonomous R&D Institutions (Scientific Institutions/Professional Bodies)” – excess of Rs.1154.32 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.24543.00 lakhs including supplementary grant of Rs.868.00 lakhs);

(खा) ''आईएंडएम सेक्टर - प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर, प्रायोगिक परियोजनाओं, जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए सहायता'' - 2199.53 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''विशाल चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम'' - 668.51 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) ''उत्कृष्टता और अभिनव परिवर्तन के संवर्धन के लिए कार्यक्रम'' - 2115.45 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) ''जैव सूचना विज्ञान'' - 174.88 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें कों लागू किए जाने के कारण हुआ।

(B) "I&M Sector – Assistance for Technology Incubators, Pilot Projects, Biotechnology Parks and Biotech Development Fund" – excess of Rs.2199.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs);

(C) "Grand Challenge Programmes" – excess of Rs.668.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs); and

(D) "Programme for Promotion of Excellence and Innovation" – excess of Rs.2115.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of Northern Eastern Region and Sikkim.

(E) "Bioinformatics" - excess of Rs.174.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations.